भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5623
26.07.2019 को उत्तर के लिए

दावानल

5623. डॉ. सुजय विखे पाटील :
श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में दावानलों से निपटने के लिए वन कर्मचारियों के पास पर्याप्त उपकरण नहीं हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा उन्हें अत्याधुनिक उपकरण और संचार सुविधएं प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (ग) दावानल की रोकथाम और प्रबंधन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की है। राज्य सरकारों की अपनी दावानल प्रबंधन योजनाएं होती हैं।

मंत्रालय वन अग्नि के निवारण और प्रबंधन के विभिन्न उपाय, जैसे-वन क्षेत्रों में अग्नि रेखाओं का निर्माण और अनुरक्षण, फायर वाचर्स की नियुक्ति, वन क्षेत्रों में जल भंडारण संरचनाओं का निर्माण, वन अवसंरचना को मजबूत बनाना, अग्नि शमन उपकरणों की खरीद, उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में मृदा और नमी संरक्षण (एसएमसी) कार्य, जागरूकता उत्पन्न करना, केन्द्रीय प्रायोजित वन अग्नि निवारण और प्रबंधन (एफपीएम) योजना के तहत गांवों/समुदायों को वनों की आग से सुरक्षा के लिए उत्प्रेरित करना इत्यादि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके वन अग्नि के निवारण और नियंत्रण के कार्य में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रयासों में सहायता प्रदान करता है। मंत्रालय ने वन अग्नि के संबंध में राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है और उसे वन अग्नि के प्रभावी निवारण और प्रबंधन के लिए उचित कार्रवाई हेतु सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया है।

भारतीय वन सर्वेक्षण को देश भर में दावानल पर निरंतर चौकसी रखने तथा राज्यों में पंजीकृत मोबाइल नम्बरों पर दावानल की चेतावनियां भेजने करने हेतु उत्तरदायी बनाया गया है। आज की तारीख तक भारतीय वन सर्वेक्षण से दावानल की चेतावनियां प्राप्त करने हेतु लगभग 50,000 मोबाइल प्रयोक्ताओं को पंजीकृत किया गया है।

*****